



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र – (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक-2613 / रेनुकूट / 15-117 रेनुकूट, दिनांक, जनवरी, 22, 2019
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भ:- 1- भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू.पी. /02/31/2018/एफ.सी./45 दिनांक- 18.04.2018
2- अनु सचिव , उ०प्र० शासन , वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2 का पत्र संख्या- भा.स. 81/14-2-2018-800(118)/2017 लखनऊ दिनांक- 03.07.2018
3- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या- 39/11-सी-एफ०पी०/यू.पी./Irrig /20269/2016 लखनऊ दिनांक- 06 जुलाई 2018

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक- 18.04.2018 द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय, पिपरी-सोनभद्र ने अपने पत्र संख्या- 736/क०नि०ख०-3 पि० दिनांक- 24.12.2018 द्वारा इस कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है । उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर प्रभाग की आख्या निम्नानुसार 4 प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

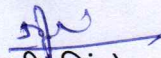
क्र०सं०	वन संरक्षक, (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच० अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/02/31/2018/एफ.सी./45 दिनांक- रहित द्वारा माँगी गयी सूचना से संबंधित विन्दु	प्रभाग की आख्या
1	2	3
1	Color coding in the Kml files(provided online) as well as in CD of proposed land to be diverted are in a single colour due to which the distinction between Forest land and Non-forest land is difficult . It should be	इस बिन्दु के अनुपालन में ओबरा वन प्रभाग एवं रेनुकूट वन प्रभाग में प्रस्तावित वन भूमि एवं गैर वन भूमि को अलग-अलग कलर से दर्शाते हुए सी०डी० संलग्न है ।

	in the different colours coding.	
2	The data provided in CD should be divisions wise .	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभाग वार सी0डी0 संलग्न है ।
3	The key coordinates of proposed land to be diverted have not be given	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित key coordinates संलग्न है ।
4	The proposed CA land for the both divisions i.e. Forest Division Renukoot and Obra are in linear format. The Kml. File of proposed CA land shows presence of agricultural land which may be reviewed.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि रेनुकूट वन प्रभाग एवं ओबरा वन प्रभाग की प्रभावित वन भूमि 127.1637 हे0 के सापेक्ष कनहर निर्माण खण्ड— तृतीय, पिपरी—सोनभद्र द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के बभनी एवं विण्ढमगंज रेंज अन्तर्गत समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराया जाना है जो भूमि कनहर परियोजना की भूमि है तथा कनहर निर्माण खण्ड पिपरी—सोनभद्र के कब्जे की भूमि है । प्रस्तावित गैर वन भूमि से संबंधित के0एम0एल0फाईल प्रेषित की जा चुकी है ।
5	Cost Benefit analysis has not been provided as new guideline of the Ministry.	इस बिन्दु के अनुपालन में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है ।
6	CA Scheme has not been submitted	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि सी0ए0 स्कीम की प्रति वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है, जिसकी प्रति पुनः संलग्न की जाती है । ।
7	Alternatives of forest land have not been examined and details not provided.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है मुख्य नहरों दौयी कनहर नहर एवं बाँयी कनहर नहर व इसकी समस्त प्रणालियों के संरक्षण का विस्तृत रूप से सर्वेक्षण कराने के उपरान्त ही प्रभावित वन क्षेत्र इस प्रकार चयनित किया गया है कि वन क्षेत्र न्यूनतम हो एवं जनता को अधिकतम लाभ प्राप्त हो । वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में वन भूमि के न्यूनतम होने एवं अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के संबंध में जिलाधिकारी सोनभद्र , प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग का संयुक्त प्रमाण पत्र की प्रति पृष्ठ संख्या— 15 से 19 पर संलग्न है ।
8	FRA certificate has been obtained much earlier than date of submission of proposal by the Agency, which may be explained	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में दुद्धी तहसील की 62.7805 हे0, रावर्टसगंज तहसील की 0.4498 हे0 वन भूमि का एफ0आर0ए0 प्रमाण—पत्र दिनांक— 28.12.2014 एवं पनः रावर्टसगंज व दुद्धी

		तहसील की 63.9334 हे० वन भूमि का एफ०आर० प्रमाण-पत्र दिनांक- 04.04.2016 को जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जारी किया गया है । जारी प्रमाण-पत्र के उपरान्त प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी थी जिसे आपत्तियों के निराकरण कराने के उपरान्त उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित की गयी थी ।
--	--	---

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में ।

भवदीय

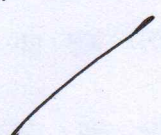

(एम०पी०सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, 17 राणा प्रताप मार्ग, उ०प्र० लखनऊ ।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय, पिपरी-सोनभद्र ।


(एम०पी०सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट